

# डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)



कार्यालय : 265228, 264236

फैक्स : 07582-264236

E mail - registrardhsgu@rediffmail.com

www.dhsgsu.ac.in

विश्वविद्यालय कार्यालय, सागर 470003(म.प्र.)

कुलसचिव

क्रमांक: डीसीडीसी/2020/ 2815

29 मई 2020

प्रति,

अति-आवश्यक

प्राचार्य,

समस्त अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय,

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

विषय: विश्वविद्यालय से अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में परिनियम क्रमांक 28 के तहत नियुक्ति वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य/शिक्षकों की जानकारी विषयक ।

—000—

1. उपरोक्त विषयांतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक डीसीडीसी/2020/2805 दिनांक 11/12 मई 2020 एवं पत्र क्रमांक डीसीडीसी/2020/2804 दिनांक 11/12 मई 2020 के द्वारा विश्वविद्यालय से अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों एवं अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों में परिनियम क्रमांक 28 के तहत नियुक्ति विवरण (वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य/शिक्षकों की जानकारी) शपथ-पत्र पर चाही गई थी महाविद्यालय द्वारा अपेक्षित जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया है ।

2. महाविद्यालयों को पुनः अवगत किया जाता है कि महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों एवं अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों में परिनियम क्रमांक 28 के तहत नियुक्ति विवरण (वर्तमान में कार्यरत में प्राचार्य/शिक्षकों की जानकारी) तथा अन्य संलग्नक जानकारी अलग-अलग संलग्नक शपथ-पत्र के अनुसार में सात दिवस के भीतर प्रेषित करें । जिन महाविद्यालयों द्वारा यह निर्धारित शपथ-पत्र में प्रेषित नहीं किया जावेगा उन्हें सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रखा जा सकता है । जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी महाविद्यालय संचालक/प्रशासन की होगी । इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन कतई जिम्मेदार नहीं होगा ।

3. अतः विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी शपथ-पत्र के निर्धारित प्रारूपों में सात दिवस के भीतर इस कार्यालय के ई-मेल [dcscsu@gmail.com](mailto:dcscsu@gmail.com) पर एवं शपथ-पत्र की मूलप्रति पंजीकृत-डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें ।


आदेशानुसार,

संलग्न- शपथ-पत्र के प्रारूप (संख्या-2)

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रोफेसर इंचारज, आई.टी.सेल, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल-को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
2. कुलपति के सचिव - को कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
3. सहायक कुलसचिव, कुलसचिव कार्यालय - को कुलसचिवजी के सूचनार्थ ।

  
IE निदेशक  
30/5/20  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

## शपथ-पत्र

समक्ष- कुलसचिव, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

में \_\_\_\_\_ संचालक/प्राचार्य, उम्र \_\_\_\_\_ कालेज का नाम \_\_\_\_\_ पता \_\_\_\_\_, कुलसचिव, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर द्वारा जारी पत्र क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के तारतम्य में चाही गई जानकारी के संबंध में शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि:-

1. यह कि मेरे द्वारा संचालित \_\_\_\_\_ (महाविद्यालय का नाम) \_\_\_\_\_ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों/प्रावधानानुसार बी.एड./एम.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु जरूरी अधोसंरचना (Infrastructure) उपलब्ध है । यह महाविद्यालय किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से वर्तमान में संबद्ध नहीं है ।
2. यह कि उक्त महाविद्यालय में बी.एड./एम.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु परिनियम 28 के तहत वर्तमान में प्राचार्य/शिक्षकों \_\_\_\_\_ नियुक्त है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम	श्रेणी	पता	पद	नियुक्ति तिथि	मासिक भुगतान (वेतन)

### अथवा

यह कि महाविद्यालय में परिनियम क्रमांक 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है । इस संबंध में हम शपथपूर्वक कथन करते हैं कि तीन माह के भीतर परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति तथा अन्य अधोसंरचना संबंधी जरूरतों की पूर्ति कर ली जावेगी तथा तदनुसार विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जावेगा अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

### सत्यापन

में \_\_\_\_\_ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा क्रमांक 01 से 02 के अंतर्गत किये गये कथन सत्य एवं सही हैं ।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

कै.एस.एम.  
27/05/20

## शपथ-पत्र

समक्ष- कुलसचिव, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मैं \_\_\_\_\_ संचालक/प्राचार्य, उम्र \_\_\_\_\_ कालेज का नाम \_\_\_\_\_ पता \_\_\_\_\_, कुलसचिव, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर द्वारा जारी पत्र क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के तारतम्य में चाही गई जानकारी के संबंध में शपथपूर्वत कथन करता हूँ कि:-

1. यह कि मेरे द्वारा संचालित \_\_\_\_\_ (महाविद्यालय का नाम) \_\_\_\_\_ में विश्वविद्यालय के मापदण्डों एवं परिनियम क्र. 27 प्रावधानानुसार सामान्य पाठ्यक्रमों ( बी.ए., बी.काम. बी.एससी., बी.बी.ए., बी.सी.ए., एलएल.बी. (तृतीय वर्षीय), एलएल.बी.(पंचवर्षीय), बी.लिब., बी.जे.(सी), एम.ए., एम.काम., एम.एससी., एम.सी.एम., पी.जी.डी. सी.ए. एवं पी.जी.डी.एफ.एम.) के संचालन हेतु जरूरी अधोसंरचना (Infrastructure) उपलब्ध है । यह महाविद्यालय किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से वर्तमान में संबद्ध नहीं है ।
2. यह कि उक्त महाविद्यालय में सामान्य पाठ्यक्रमों ( बी.ए., बी.काम. बी.एससी., बी.बी.ए., बी.सी.ए., एलएल.बी. (तृतीय वर्षीय), एलएल.बी.(पंचवर्षीय), बी.लिब., बी.जे.(सी), एम.ए., एम.काम., एम.एससी., एम.सी.एम., पी.जी.डी. सी.ए. एवं पी.जी.डी.एफ.एम. ) के संचालन हेतु परिनियम 28 के तहत वर्तमान में प्राचार्य/शिक्षकों ~~की~~ नियुक्त है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम	श्रेणी	पता	पद	विषय	नियुक्ति तिथि	मासिक भुगतान (वेतन)

### अथवा

यह कि महाविद्यालय में परिनियम क्रमांक 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्त नहीं की गई है । इस संबंध में हम शपथपूर्वत कथन करते हैं कि तीन माह के भीतर परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति तथा अन्य अधोसंरचना संबंधी जरूरतों की पूर्ति कर ली जावेगी तथा तदनुसार विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जावेगा अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं \_\_\_\_\_ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा क्रमांक 01 से 02 के अंतर्गत किये गये कथन सत्य एवं सही है ।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

27-5-20